अनुदान संख्या 31 – वित्तीय सेवाएं विभाग
GRANT No. 31 - DEPARTMENT OF FINANCIAL SERVICES

			कुल अनुदान या विनियोग Total grant or Appropriation	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्वः	**Revenue:**				
प्रभारित–	*Charged-*				
पूरक	*Supplementary*	*10,00*	*10,00*	*10,00*	..
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	*Amount surrendered during the year*				*शून्य Nil*
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	1739,05,00	1739,08,00	1317,28,27	-421,79,73
पूरक	Supplementary	3,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				414,27,98
पूंजीगतः	**Capital:**				
स्वीकृत–	Voted-				
मूल	Original	69838,01,00	115358,03,00	114771,19,49	-586,83,51
पूरक	Supplementary	45520,02,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				586,83,51

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग के स्वीकृत अंश में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुई/हुआः–

Notes and comments

1. In the voted portion of the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads: -

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "2052" सचिवालय – सामान्य सेवाएं	Major Head "2052" Secretariat - General Services				
मू.	O.	7655.00	5656.33	5628.89	-27.44
पु.	R.	-1998.67			
मुख्य शीर्ष "2070" अन्य प्रशासनिक सेवाएं	Major Head "2070" Other Administrative Services				
मू.	O.	13148.00	12833.40	12154.30	-679.10
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	-315.60			
मुख्य शीर्ष "2235" सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	Major Head "2235" Social Security and Welfare				
मू.	O.	47524.00	48281.00	48281.00	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	756.00			
मुख्य शीर्ष "2885" उद्योगों तथा खनिजों पर अन्य परिव्यय	Major Head "2885" Other Outlays on Industries and Minerals				
मू.	O.	2.00	11000.00	11000.00	..
पू.	S.	1.00			
पु.	R.	10997.00			
मुख्य शीर्ष "3465" सामान्य वित्तीय तथा व्यापारिक संस्थाएं	Major Head "3465" General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	102001.00	51500.00	51497.98	-2.02
पू.	S.				
पु.	R.	-50501.00			

(I) ₹2.00 लाख का प्रावधान दो शीर्षो के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा।

(I) Provision of ₹2.00 lakhs remained wholly unutilized under two heads.

(II) मुख्य शीर्ष "2052" – "सचिवालय – वित्तीय सेवाएं विभाग" – ₹2026.11 लाख की बचत (₹7655.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) विज्ञापन एवं प्रचार संबंधित कम निधियों की आवश्यकता होने एवं कार्यालय परिसर के लिए पट्टा विलेख को अंतिम रूप न दिए जाने के लिए हुई।

(II) Under Major Head "2052" - "Secretariat - Department of Financial Services" - saving of ₹2026.11 lakhs (against the sanctioned provision of ₹7655.00 lakhs) was due to requirement of less funds towards advertisement & publicity and non-finalization of lease deed of office premises.

(III) मुख्य शीर्ष "2070" – "निदेशन और प्रशासन" – "पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण को सहायता अनुदान" – ₹1251.00 लाख की बचत (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित, ₹2511.00 लाख के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पिछले वर्ष के अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुई।

(III) Under Major Head "2070"- "Direction and Administration - Grants-in-aid to Pension Fund Regulatory and Development Authority(PFRDA)" - saving of ₹1251.00 lakhs (against the total sanctioned provision of ₹2511.00 lakhs including token supplementary grant of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) was due to availability of unspent balances of previous year.

(IV) मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – अन्य बीमा स्कीमें" – प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लिए प्रचार/जागरूकता लाने के समर्थन के लिए निधियन" – ₹1500.00 लाख (₹2000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में); और

(IV) Under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Other Insurance Schemes - Funding support for publicity/awareness building for Pradhan Mantri Jeevan Jyoti Bima Yojana (PMJJBY) and Pradhan Mantri Suraksha Bima Yojana (PMSBY)" - saving of ₹1500.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹2000.00 lakhs); and

(V) मुख्य शीर्ष "3465" – "सामान्य वित्तीय संस्थान – सामान्य वित्तीय संस्थानों को सहायता – नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी को सहायता" – ₹50001.00 लाख (₹100001.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में)।

(V) Under Major Head "3465"- "General Financial Institutions - Assistance to General Financial Institutions - Assistance to National Credit Guarantee Trustee Company (NCGTC)" - saving of ₹50001.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹100001.00 lakhs).

बचतें उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत कार्यान्वयन एजेंसियों में अव्ययित शेष की उपलब्धता होने के कारण हुईं।

Savings under the above two heads were due to availability of unspent balances with the implementing agencies.

(VI) दो शीर्षों के अंतर्गत ₹906.53 लाख की बचतें हुईं जो प्रत्येक में ₹250.00 लाख से अधिक और ₹500.00 लाख से कम और कुल स्वीकृत प्रावधान का 28 प्रतिशत और 50 प्रतिशत थीं।

(VI) Under two heads savings of ₹906.53 lakhs occurred, each exceeding ₹250.00 lakhs but not exceeding ₹500.00 lakhs and constituting 28 percent and 50 percent of the sanctioned provision.

2. (I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹2256.00 लाख) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष "2235" – "अन्य सामाजिक सुरक्षा और कल्याण कार्यक्रम – सामाजिक सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत पेंशन – वरिष्ठ नागरिकों के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम को भुगतान" के अंतर्गत दिसंबर, 2018 में ₹1.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

2. (I) The above savings were partly (₹2256.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹1.00 lakh in December, 2018 under Major Head "2235" - "Other Social Security and Welfare Programmes - Pension under Social Security Schemes - Payment to Life Insurance Corporation of India for Pension Plan for Senior Citizens".

(II) बचतें मुख्य शीर्ष "2885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थान – औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को सहायता – विशिष्ट परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन" के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा प्रतिसंतुलित किया गया था – ₹10999.00 लाख का अधिक व्यय (दिसंबर, 2018 में प्राप्त किए गए ₹1.00 लाख का सांकेतिक पूरक प्रावधान की तुलना में) विशिष्ट परिसंपत्ति स्थिरीकरण निधि को जारी प्रतिभूतियों का मोचन के दावों की प्राप्ति होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "2885"- "Industrial Financial Institutions - Assistance to Industrial Financial Institutions - Redemption of securities issued to Stressed Assets Stablization Fund (SASF)" - excess of ₹10999.00 lakhs (against the token supplementary provision of ₹1.00 lakh obtained in December, 2018) was due to receipt of claims for redemption of securities issued to Stressed Assets Stabilization Fund.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:–

3. In the capital section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
मुख्य शीर्ष "4416"	Major Head "4416"				
कृषि वित्तीय संस्थाओं में निवेश	Investments in Agricultural Financial Institutions				
मू.	O.	351300.00			
पू.	S.	1.00	210800.00	210800.00	..
पु.	R.	-140501.00			

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत– Saving -
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "5465"	Major Head "5465"				
सामान्य वित्तीय और व्यापारिक संस्थानों में निवेश	Investment in General Financial and Trading Institutions				
मू.	O.	6560001.00			
पू.	S.	4102000.00	10747000.00	10747000.00	..
पु.	R.	84999.00			
मुख्य शीर्ष "6885"	Major Head "6885"				
उद्योगों तथा खनिजों को अन्य ऋण	Other Loans to Industries and Minerals				
मू.	O.	12500.00	9319.49	9319.49	..
पु.	R.	-3180.51			

(I) ₹60002.00 लाख का प्रावधान तीन शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; इनमें से ₹60000.00 लाख अकेले मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र एवं अन्य बैंक उपक्रमों आदि में निवेश – माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट रिफाईनेंस एजेंसी बैंक को इक्विटी पूंजीगत" के अंतर्गत कम इक्विटी समर्थन प्रदान न करने के सरकारी निर्णय की वजह से वित्त मंत्रालय द्वारा संशोधित अनुमान चरण पर प्रावधान में कटौती किए जाने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of ₹60002.00 lakhs remained wholly unutilised under three heads; of these ₹60000.00 lakhs alone accounted for under Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings Banks, etc. - Equity Capital to Micro Unit Development Refinance Agency (MUDRA) Bank" - due to reduction of provision at revised estimates stage by the Ministry of Finance owing to Government decision to stop equity support.

(II) मुख्य शीर्ष "4416" – "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – नाबार्ड के शेयर पूंजी को अंशदान" – ₹150000.00 लाख की बचत (₹350000.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) भारत सरकार की स्कीमों के वित्तपोषण के लिए नाबार्ड द्वारा कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुई।

(II) Under Major Head "4416" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings - Subscription to share Capital of NABARD" - saving of ₹150000.00 lakhs (against the sanctioned provision of ₹350000.00 lakhs) was due to requirement of less funds by NABARD for financing of Government of India schemes.

(III) मुख्य शीर्ष "6885" – "औद्योगिक वित्तीय संस्थानों को कर्ज – सार्वजनिक क्षेत्र और अन्य उपक्रमों को कर्ज – राष्ट्रीय आवास बैंक को विश्व बैंक द्वारा सहायता" – ₹3180.51 लाख की बचत (₹12500.00 लाख के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) कार्यान्वयन एजेंसियों से कम दावे प्राप्त होने के कारण हुई।

4. उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (₹154499.00 लाख) प्रयुक्त हो गई जैसा कि दिसंबर, 2018 में निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत ₹4100001.00 लाख का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था:–

(I) मुख्य शीर्ष "4416" – "सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश – क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के पुनर्पूंजीकरण के लिए सरकार के शेयर को अंशदान" – ₹9499.00 लाख।

(II) मुख्य शीर्ष "5465" – "सामान्य वित्तीय संस्थानों में निवेश – सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य बैंक उपक्रमों आदि में निवेश – राष्ट्रीय आवास बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक की अधिग्रहण लागत हिस्सेदारी" – ₹145000.00 लाख।

(III) Under Major Head "6885"- "Loans to Industrial Financial Institutions - Loans to Public Sector and Other Undertakings - World Bank Assistance to National Housing Bank(NHB)" - saving of ₹3180.51 lakhs (against the sanctioned provision of ₹12500.00 lakhs) was due to receipt of less claims from the implementing agencies.

4. The above savings were partly (₹154499.00 lakhs) utilized for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to the Parliament while obtaining supplementary grant of ₹4100001.00 lakhs in December, 2018 under the following major heads:-

(I) Major Head "4416" - "Investments in Public Sector and Other Undertakings - Contribution of Government's share for recapitalisation of Regional Rural Banks (RRBs)" - ₹9499.00 lakhs.

(II) Major Head "5465" - "Investments in General Financial Institutions - Investments in Public Sector and Other Undertakings Banks, etc. - Acquisition Cost of Reserve Bank of India Stake in National Housing Bank (NHB)" - ₹145000.00 lakhs.